26/3/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1 ने पूर्व में सहमति का जवाब प्रस्तुत किया। आज उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गई अधिवक्ता विपक्षी एवं विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थिया ने ग्राम आमोलिया प.ह. बडोदिया तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित अपनी आराजी संख्या 328 मी रकबा 0.2350 हे. की पत्थरगढ़ी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थिया सुनी गयी।

2019/00455 हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 अनुसार ग्राम आमोलिया प.ह. बडोदिया की आराजी संख्या 328 मी. रकबा 0.2350 हे. प्रार्थिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 LR Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की ग्राम आमोलिया प.ह. बडोदिया स्थित खातेदारी आराजी संख्या 328 मी रकबा 0.2350 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढ़ी शुल्क 500/- अक्षरे पांच सौ रुपयर प्रार्थिया वहन करेगी। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.01 18:10:38 IST
Reason: SelfAttested